कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2588 / FP/UK/ROAD/43934/2020 :देहरादूनःदिनांकः 28 अप्रैल, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,पर्यावरण, वन
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में प्रस्तावित रौता–मालकोटी सेरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.89 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0 8बी./यू. सी.पी./06/138/2020/एफ0सी0/2363 दिनॉक 25.02.2021।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 5204/12–1 दिनांक 16–04–2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.78 है0 सिविल भूमि ग्राम नौली खसरा संख्या 204,205,208 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचे।	**प्रतिपूरक वनीकरण** **शर्त सं0 03 (क)** के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 12,74,555.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से Uttaranchal Campa के खाता संख्या 150896143934348 में जमा कर दी गयी है। **(संलग्नक–01)**
	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2-4(i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व के बाहर के है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त सं0 03 (ख) के कम में अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 48/छब्बीस–2(2021–2022) गोपेश्वर दिनांक 01.10.2021 प्रतिपूरक वनीकरण भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया गया है। प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित 3.78 हे0 सिविल भूमि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1566/14–2–97 –800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के

		अनुसार संरक्षित वन की श्रेणी में आती है। अतः पुनः आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धित कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। **(संलग्न–2)**
	ग)वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तह् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त सं0 3(ग) का प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–3)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य मे निर्धारित कार्यो के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	शर्त सं0 04 के कम में अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा धनराशि रू0 12,74,555.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से Uttaranchal Campa के खाता संख्या 150896143934348 में जमा कर दी गयी है।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** **क)** इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में आई0ए0 नम्बर 556 दिनॉक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनॉक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनॉक 03.10.2006 एवं 5–13/2007–एफ0सी0 दिनॉक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.89 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, तो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त सं0 5 (क) के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के तहत 1.89 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य रू0 12,41,370.00 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से Uttaranchal Campa के खाता संख्या 150896143934348 में जमा कर दी गयी है। 5 (ख) के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय/भारत सरकार द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व मूल्य में परिवर्तन किया जाता है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई दरों का भुगतान यथा समय करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति दी गयी है, इस कम में अपेक्षित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्न–4)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 51 वृक्षो से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त सं0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रवक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड़ में स्थानातंरित/जमा किया जाएगा।	शर्त सं0 7 के अनुपालन में अवगत कराया गया है कि योजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://pravish.nic/in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंण्ड में स्थानान्तरित/जमा कर दी गयी है। **(संलग्न–5)**
8	गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

	प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगे। साथ ही राज्य सरकार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनॉक से 1 वर्ष की समाप्ति तक आदेश मे उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपाल संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाऐगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाऐगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूर को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाऐगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
16	संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकंन किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल सं0 11–42/2017–एफ0सी0 दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि व अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे का	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।

	यथास्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुछेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव परलागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेवारी होगी।	प्रस्तावक विभाग को शर्त मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	उक्त के अनुपालना में रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://pravish.nic/in) पर अपलोड की गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

संख्या–२५४४ / FP/UK/ROAD/43934/2020 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 5204/12–1 दिनांक 16–04–2022।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पोखरी।

(बी0पी0 गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

O/C